कार्यालय तहसीलदार,भू.अ. टोंक

क्रमांक :–8343 भू0अ0/2015 दिनांक :– 2.6.15

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,
टोंक राजस्थान

विषयः–शहरी जल योजना टोंक हेतु आर.यू.आई.डी.पी. के तहत रामद्वारा पहाडी पर वन विभाग की भूमि में उच्च जलाशय बनाने बाबत।

Rev.
3/6/15

प्रसंगः–श्रीमान के पत्र क्रमांक एफ 12()राजस्व/विविध/15/6026 दिनांक 27.52015 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि शहर जल योजना टोंक हेतु आर.यू.आई.डी.पी. के तहत रामद्वारा पहाडी पर वन विभाग की भूमि में उच्च जलाशय का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

उक्त सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओ पर जांच रिपोर्ट निम्न प्रकार प्रेषित है:–

1–प्रस्तावित भूमि वन भूमि है ।

2–उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी निवास नही कर रहे है।

3–उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी की आजीविका उक्त भूमि मर स्थित पेड पौधो के जरिये नही है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

संलग्न :- रिपोर्ट पटवारी व ILR.

तहसीलदार, भू0अ0टोंक

साधारण फाईल

कार्यालय नगर परिषद टोंक

क्रमांकः—

दिनांक

अनापत्ति प्रमाण पत्र

शहरी जलयोजना टोंक हेतु आर.यू.आई.डी.पी के तहत रामद्वारा पहाडी पर वन विभाग की भूमि में उच्च जलाशय का निर्माण किंया जाना प्रस्तावित हैं। इस हेतु उक्त भूमि का प्रत्यावर्तन वन विभाग द्वारा जन स्वा.अभि.विभाग को किये जाने हेतु आवश्यक प्रस्ताव जन स्वा.अभि.विभाग द्वारा वन विभाग को प्रस्तुत कर दिये गये हैं। उक्त भूमि नगर परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। उक्त भूमि का प्रत्यावर्तन वन विभाग द्वारा जन स्वा.अभि.विभाग को किये जाने बाबत नगर परिषद टोंक को कोई आपत्ति नही है।

लक्ष्मी जैन
सभापति
नगर परिषद, टोंक

आयुक्त
नगर परिषद, टोंक

क्रमांकः— 1342-43

दिनांक 13-5-15

प्रतिलिपिः—

1. श्रीमान अतिरिक्त परियोजना निदेशक आर.यू.आई.डी.पी. जयपुर।
2. अधीक्षण अभियंता जन स्वा.अभि.विभाग वृत टोंक।

लक्ष्मी जैन
सभापति
नगर परिषद, टोंक

आयुक्त 13/5/15
नगर परिषद, टोंक

PO (IV) 19/5

Tonk sh. panjo sh Gup19

FORM-I

(For Linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Tonk

S. No.: Revenue/2015/ 6272 Dated 09.06.2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the ocess of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.1435 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Public Health Engineering Department (name of user agency) for construction of Overhead Service Reservoir and laying of pipe line (purpose for diversion of forest land) in Tonk district falls within jurisdiction of Town Tonk Sharki village in Tonk tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.1435 hectares of forest area proposed for diversion. As proposed area comes in municipal limit, proposal for Gram Sabha is not required. No Objection Certificate from Municipal Council has taken and enclosed as annexure A.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Govt as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Municipal Council, Tonk has given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre Agricultural Communities. On the forest land proposed for diversion, Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers do not reside (Report of Tehsildar, Tonk enclosed). Also none of them have produce their right over proposed land.

9/6/15

(Dr. Rekha Gupta)
Distrct Colletor & District Magistrate
Tonk